



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266593
CG-DL-E-01102025-266593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4368]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947

No. 4368]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4493(अ).— केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 30 के साथ पठित धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 25 किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में, यथास्थिति, वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थाओं को लागू नहीं होगी।

[फा. सं. 3/4/2022-ईएम]

सोलोमन अरोकियाराज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 4493(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 31 read with section 30 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby directs that section 25 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) shall not apply to financial products, financial services or financial institutions, as the case may be, in an International Financial Services Centre.

[F. No. 3/4/2022-EM]

SOLOMON AROKIARAJ, Addl. Secy.